



झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वी०सं०-05/रा०ओ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-37(राशि) आ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.2022

प्रेषक,

अमिताभ कौशल, भा०प्र०से०
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड।

विषय - मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदाओं से घायलों के लिए अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि के सुसंगत शीर्ष से कुल राशि 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश - स्वीकृत।

2. उक्त स्वीकृत राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-245/बजट, दिनांक-30.03.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

क्र०सं०	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि (रु० में)
1	मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत उप शीर्ष-05-घायलों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड-39-S-2245-02-101-05-00-06-49	5,00,000/-
	कुल राशि	5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये मात्र।

3. मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में दिनांक-10.05.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के निर्णय-3 "भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदाओं से हुए क्षति एवं होने वाली क्षति के संदर्भ में कतिपय जिलों से प्राप्त अधियाचना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए जिलों को राज्य आपदा मोचन निधि के सुसंगत शीर्ष में उपबंधित राशि से अनुमानित राशि उपलब्ध कराने पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने मदवार राशि स्वीकृत करने पर निम्नवत् सहमति प्रदान की गई" :-

(III) प्राकृतिक आपदा-बाढ़, चक्रवात आदि (अग्निकांड सहित) से घायलों हेतु जिलों को अनुमानित राशि की स्वीकृति :-

स्वी०सं०-05/रा०ओ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-37(स्वी०)/आ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.2022

क्र० सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	राँची	34,000
2	गुमला	17,000
3	सिमडेगा	17,000
4	लोहरदगा	17,000
5	खूँटी	15,000
6	हजारीबाग	17,000
7	सामगढ़	17,000
8	चतरा	17,000
9	कोडरमा	17,000
10	गिरिडीह	17,000
11	धनबाद	17,000
12	बोकारो	17,000
13	पूर्वी सिंहभूम	30,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	17,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	30,000
16	पलामू	17,000
17	गढ़वा	17,000
18	लातेहार	17,000
19	दुमका	17,000
20	जामताड़ा	17,000
21	देवघर	17,000
22	गोड्डा	17,000
23	साहेबगंज	34,000
24	पाकुड़	51,000
कुल योग		5,00,000

- उक्त स्वीकृत राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदा (सुखाड़ को छोड़कर) से घायलों के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-32-07/2014-NDM-I दिनांक-08.04.2015 द्वारा निर्गत Items और Norms of assistance का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
- गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-05/2020-NDM-I दिनांक-09.04.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा पूर्व के राज्य आपदा मोचन निधि हेतु पत्रांक-32-07/2014-NDM-I दिनांक-08.04.2015 (प्रति संलग्न) से निर्गत Items & Norms of assistance की वैधता बढ़ा दी गई है।

स्वी०सं०-05/रा०ओ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-37(स्वी०)आ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.2022

6. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-05/2015-NDM-I, दिनांक-30.07.2015 (प्रति संलग्न) में अंकित प्राकृतिक आपदा-Cyclone, Earthquake, Fire, Flood, Tsunami, Hailstorm, Landslide, Avalanche, Cloud Burst, Pest Attack and Frost & Cold Wave से घायलों के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुकवार स्वीकृत की जायेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग "यास चक्रवात, 2021", सुखाड एवं अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से हुए घायलों के लिये नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।
9. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद-मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है।
10. अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. संबंधित उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार भौतिक सत्यापन के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक लाभुक को ही हो रहा है एवं आश्वस्त हो लेंगे कि अनुग्रह अनुदान भुगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।
12. उपायुक्त के कार्यालय में अभिलेखों को नियमानुसार संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक लाभुक का पूर्ण विवरण, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, प्राकृतिक आपदाओं से घायल होने का पूर्ण साक्ष्य यथा - चिकित्सा प्रमाण-पत्र/घायल होने का साक्ष्य उपलब्ध हो। उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु संरक्षित रखा जायेगा।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगे।
14. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 (प्रति संलग्न) के प्रपत्र डी०एम०-2 में पूर्ण विवरण विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०-5 (प्रति संलग्न) में विभाग को व्यय विवरण समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण 20 मार्च, 2023 के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व संबंधित उपायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
16. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-33-06/2015-NDM-I, दिनांक-06.05.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार मासिक व्यय विवरण विभाग को संबंधित उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि के व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समाप्त किया जायेगा।
18. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
19. महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
20. झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016, वित्त नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर तत्संबंधी निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
21. स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
22. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
23. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-32-07/2014-NDM-I दिनांक-08.04.2015
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-33-05/2020-NDM-I दिनांक-09.04.2020
3. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-05/2015-NDM-I दिनांक-30.07.2015
4. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार के पत्रांक-33-06/2015-NDM-I, दिनांक-06.05.2015
5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अमिताभ कोशल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-05/रा०ओ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-37(स्वी०) आ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.2022

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव के उप सचिव/सचिव कोषांग, आपदा प्रबंधन प्रभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-09 (बजट प्रशाखा) एवं प्रशाखा-12 (सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रशाखा), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।



ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 607

पत्रांक संख्या :- 37(SWI)

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 09/06/2022

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव

टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्रर धुर्वा, राँची, झारखण्ड-834004

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार, झारखण्ड का कार्यालय,
पोस्ट - डोरंडा, राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा
चिह्नित प्राकृतिक आपदाओं से घायलों के लिए अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु राज्य आपदा
मोचन निधि (SDRF) से वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि के सुसंगत शीर्ष से कुल
राशि 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के, राज्य
मुख्यशीर्ष - 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
उपमुख्य शीर्ष - 02-बाढ़, चक्रवात आदि
स्थापना व्यय

लघुशीर्ष	राशि
101-आनुग्रहिक राहत	₹5,00,000.00
कुलराशि :-	₹5,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
39S224502101050649	05 - छात्रों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान	49 - आर्थिक सहायता	

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।



2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तथा सम्बंधित कोषागारों की विवरणी जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

कोषागार	राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारि	पदनाम	राशि
Bokaro	BKRLDR014:SADAT ANWAR	ADDITIONAL COLLECTOR, BOKARO	□17,000.00
Chatra	CTRDAD003:ANJALI YADAV	D.C. CHATRA	□17,000.00
Deoghar	DGRLDRA39:CHANDRA BHUSHAN SINGH	ADDL. COLLECTOR DEOGHAR	□17,000.00
Dhanbad	DHNDAD023:SANDEEP SINGH	DY.COMMISSIONER DHANBAD	□17,000.00
Dumka	DMKDAD011:RAVI SHANKAR SHUKLA	DEPUTY COMMISSIONER,DUMKA	□17,000.00
Godda	GDDAD020:BHOR SINGH YADAV	DY. COMMISSIONOR, GODDA	□17,000.00
Gumla	GMLDAD009:SIDDHARTH SHANKAR CHAUDHRY	N. D. C. GUMLA	□17,000.00
Giridih	GRDDAD026:SHRI NAMAN PRIYESH LAKRA (IAS)	DY. COMMISSIONER GIRIDIH	□17,000.00
Garhwa	GRHLDR003:PANKAJ KUMAR SINGH	A.C.GARHWA	□17,000.00
Hazaribagh	HZBDAD055:ADITYA KUMAR ANAND	DY.COMMISSINOR HZB	□17,000.00
Jamtara	JMTDAD006:ABHISHEK SHRIVASTAVA	I/C.A.C. JAMTARA	□17,000.00
Jamshedpur	JSRDAD001:ABHISHEK KUMAR	ESTT.DY.COLLEAST SINGHBHUM	□30,000.00
Koderma	KDMDADA12:ADITYA RANJAN	D.C. KODERMA	□17,000.00
Khunti	KHNDADK01:SHASHI RANJAN	D.C.KHUNTI	□15,000.00
Lohardaga	LDGDAD030:SHRI WAGHMARE PRASAD KRISHNA	DEPUTY COMMISSIONER LOHARDAGA	□17,000.00
Latehar	LTRDAD002:ALOK SHIKARI KACHHAP	A.C. LATEHAR	□17,000.00
Pakur	PKRDADA07:VARUN RANJAN	DEPUTY COMMISSIONER PAKUR	□51,000.00
Palamu	PLMDAD002:SAILESH KUMAR SINGH	N.D.C.PLM	□17,000.00
Ramgarh	RGHDAD059:SRI SOURABH PRASAD	NDC RAMGARH	□17,000.00
Ranchi	RNCAD034:KEWAL KRISHNA AGRAWAL	NAJARAT DEPUTY COLLECTOR.	□34,000.00
Sahebganj	SBJLDR004:VINAY KUMAR MISHRA	ADDL.COLL.SAHIBGANJ	□34,000.00
Simdega	SDGDAD014:MRS R.RONITA	DY.COMMISSIONER, SIMDEGA	□17,000.00
Chaibasa	SGHDAD013:JAYANT RANJAN	ASST.NAZARAT DEPUTY COLLECTOR	□17,000.00
Seraikela	SKLDAD013:DHANBIR LAKRA	DY. COLLECTOR NAZARAT SKL	□30,000.00
		कुलराशि :-	□5,00,000.00

3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता, अनुदान, वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)



झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से